

# कार्यालय नगर परिषद करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

E mail id:-cmokarera@mpurban.gov.in

क्रमांक/नि.शा./2026/ 372

करैरा,दिनांक...22-4-26

## (ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना)

मध्य प्रदेश शासन में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास के वर्तमान आई.एस.एस.ओ.आर.प्रभावशील भवन दिनांक 02 अगस्त 2021 से आज दिनांक तक संशोधित सहित निविदायें प्रपत्र अपेन्डिक्स 2.10 प्रतिशत दरों के आधार पर


क्र.	कार्य का विवरण	टेण्डर नं०	अनु० लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अवधि
1	वार्ड क्रमांक 12 प्रजापति मंदिर के पास कम्यूनिटी हॉल निर्माण कार्य	2026 -UAD- 503270 -L	1237446/-	9281/-	2000/-	06 माह

नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्न कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है-

- विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि...3.05.26... समय 17:30 बजे।
- निविदा हेतु लोक निर्माण विभाग के जीवित पंजीयन की प्रति, जीएसटी की प्रति, पेनकार्ड, शपथ पत्र, अमानत राशि की प्रति निविदा के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा खोलने की दिनांक...01/06/26... समय 11:00 बजे खोली जावेगी।
- निविदा में कोई भी संशोधन वेबसाइट पर किया जावेगा। प्रथक से कोई प्रकाशन नहीं होगा।
- शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- जीएसटी के संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 13014 दिनांक 14/11/2017 एवं शासन के आदेश पालनीय होंगे।
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-17/2020/18-02 भोपाल दिनांक 27/11/2020 में प्रकाशित दर निविदा प्रपत्र अपेन्डिक्स 2.10 में किये गये संशोधन मान्य होंगे।
- कार्य के देयकों से शासन नियमानुसार निर्धारित कटौती किये जावेगें।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री के सैम्पल की टेस्टिंग शासकीय एवं एनएबीएल प्रयोगशाला में ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल से समय समय पर जारी निर्देश पालनीय होंगे।
- कार्य के संबंध मुख्य नगर पालिका का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- समय-समय पर शासन के निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

  
उपयंत्रि

नगर परिषद करैरा

  
मुख्य उपयंत्रि/सहायक उपयंत्रि  
नगर परिषद करैरा